वर्ष 2014–2015 की बजट गतिविधियों एवं वर्ष 2015–2016 के बजट अनुमान की तैयारी का अनंतिम बजट कार्यक्रम

1	30 अगस्त, 2014	वित्त विभाग द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारियों को आयोजनेतर/आयोजना तथा राजस्व प्राप्तियों के अनुमान हेतु मुद्रा साफटवेयर का प्रदाय। साफटवेयर वित्त विभाग की वेबसाईट http://www.finance.mp.gov.in पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है।
2	5 सितम्बर, 2014 तक	महालेखाकार से वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय व्यय के वास्तविक आंकडे प्राप्त किया जाना
3	07 अक्टूबर, 2014	राज्य योजना आयोग से वर्ष 2015–16 की आयोजना सीमा प्राप्त की जाना
4	07 अक्टूबर, 2014	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले विवरण की जानकारी विभागों से प्राप्त होने की अंतिम तिथि
5	10 अक्टूबर, 2014	राजस्व प्राप्तियॉ/वसूलियों के बजट अनुमान 2015–16 के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होना।
6	17 अक्टूबर, 2014	आयोजनेतर बजट प्रस्ताव वर्ष 2015–16 एवं नवीन मद के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
7	25 अक्टूबर, 2014 तक	आयोजना बजट प्रस्ताव वर्ष 2015–16 प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होना। मुद्रा साफटवेयर में राजस्व प्राप्तियॉ, आयोजनेतर एवं आयोजना बजट प्रस्ताव, पद स्वीकृति, वाहन, दूरभाष, पीडी खाता आदि अन्य समस्त जानकारियों सहित डाटा वित्त विभाग में प्राप्त किया जाना। वित्तीय वर्ष 2013–14 में निर्धारित आयोजना सीमा एवं इसके विरूद्व हुए व्यय तथा वर्ष 2014–15 की आयोजना सीमा तथा बजट की जानकारी बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग को उपलब्ध कराई जाना। बजट चर्चा का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाना।
8	31 अक्टूबर, 2014	प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2014–15 के प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि
9	14 नवम्बर, 2014 तक	राजस्व प्राप्तियॉ वर्ष 2015–16 बजट के प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों (विभागाध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार एवं उप सचिव) के साथ चर्चा
10	17 नवंबर, 2014 से 12 दिसंबर, 2014 तक	आयोजनेतर/आयोजना बजट के प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों (विभागाध्यक्ष एवं उप सचिव) के साथ चर्चा
11	15 दिसंबर, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 तक	विभागीय सचिवों के साथ राजस्व प्राप्तियॉ/आयोजना/आयोजनेतर बजट प्रस्तावों पर वित्त सचिव स्तर पर चर्चा
12	31 दिसंबर, 2014	माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु सामग्री प्राप्त होने की अंतिम तिथि
13	01 जनवरी, 2015 से 09 जनवरी, 2015 तक	अपर मुख्य सचिव, वित्त के साथ विभागीय अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों की चर्चा
14	10 जनवरी 2015 से 12 जनवरी 2015 तक	आवश्यकतानुसार माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा अन्य विभागों के माननीय मंत्रीगणों के साथ बजट प्रस्तावों पर चर्चा
15	09 जनवरी, 2015	परिणामी बजट/जेंडर बजट से संबंधित जानकारी वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
16	16 जनवरी, 2015 तक	राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013–14 में की गई भूमि आवंटन (रियायती) तथा दिनांक 31 दिसंबर, 2014 तक बकाया गारंटी की जानकारी वित्त विभाग में प्राप्ति।
17	07 फरवरी 2015	द्वितीय अनुपूरकअनुमान वर्ष 2014–15 के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
18	31 मार्च, 2015	प्रशासकीय विभागों द्वारा 31.3.2015 तक वर्ष 2014–15 हतु पुनर्विनियोजन/समर्पण के पारित आदेश वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि

<u>विशेष सूचनाः–</u>

1– वर्ष 2015–2016 के बजट में कोई अपरीक्षित व्यय का नवीन मद सम्मिलित नहीं किया जावेगा और न ही पुनर्विनियोजन प्रस्ताव कार्यक्रम में अंकित तिथि के बाद मान्य किया जावेगा, विभागों से निवेदन है कि समय सारणी का कडाई से पालन करें।

2– वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक जी–25/9/90/नि–4, दिनांक 22.5.90 के अनुसार आदिवासी क्षेत्र उपयोजना तथा अनुसूचित जातियों के लिये उप योजना के बजट प्रस्ताव आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ को भेजे जावें।

पृ0 क्र0 1950 / आर 815/11/ब–1/चार/2014 भोपाल, दिनांक 02/09/2014

प्रतिलिपिः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, राज्य योजना आयोग, भोपाल।
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
4. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
5. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर
7. वित्तीय सलाहकार, आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
8. समस्त अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
9. स्टाफ आफिसर/निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/संचालक बजट/वित्त विभाग

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

2/9/2014

(राजेश सिंह)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग